(37)

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

पत्रांक – पं.नि.- 30-31/2013 – **1214**

प्रेषक,

अरूण डेढ़गवें, भा.प्र.से.
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

अत्यावश्यक
निर्वाचन महत्वपूर्ण
समयबद्ध

सेवा में,

सभी जिला दण्डाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

पटना, दिनांक – **15.07.2014**

विषय :पंचायत निर्वाचन, 2016 — गठित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में वर्ष 2011 की जनसंख्या को दर्शाते हुए प्रपत्र–1 में प्रकाशन करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पंचायत राज विभाग, बिहार पत्रांक 8939 दिनांक 20.12.2013 से संसूचित किया गया है कि ''राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पुराने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ो का प्रकाशन कर वर्ष 2016 का पंचायत आम निर्वाचन कराने की कार्रवाई की जाए।''

2. वर्ष 2011 के जनगणना के आँकड़ों के आलोक में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की नई जनसंख्या की जानकारी आम जनता को होना आवश्यक है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के आलोक में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में कोई परिवर्त्तन नहीं करते हुए उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में वर्ष 2011 की जनसंख्या के आँकड़ों को **प्रपत्र–1** (संलग्न) में अंकित करते हुए दर्शाया जाय।

3. इस तरह तैयार की गई प्रारूप **प्रपत्र–1** को इस पत्र की कंडिका -6 में अंकित समय सारिणी के अनुसार ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के लिए, ग्राम पंचायत कार्यालय तथा प्रखंड कार्यालय में; और जिला परिषद के लिए प्रखंड कार्यालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी कार्यालय व जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित कराया जाय। प्रारूप प्रकाशन एवं आपत्ति आमंत्रित करने की सूचना ग्राम क्षेत्रों/ हाट बजार में डुगडुगी बजा कर भी कर दी जाय। प्रकाशन की तिथि से 14 (चौदह) दिनों के अन्दर आपत्ति दी जानी है। बाद में आपत्ति करने पर विचार नहीं किया जायेगा।

4. प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की नई जनसंख्या के आँकड़ों के संबंध में आपत्तियाँ आपके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष दी जा सकती है। जिस जगह आपत्तियाँ प्राप्त की जानी है वहाँ किसी कर्मचारी को तैनात किया जाय। आपत्तिकर्त्ता को पावती रसीद अवश्य दी जाय। **आपत्तियाँ सिर्फ जनसंख्या के संबंध में ही प्राप्त की जायेगी।** प्राप्त आपत्तियों पर जाँच एवं सम्यक रूप से विचार करने के बाद प्राधिकृत पदाधिकारी संबंधित जाँच अभिलेख में कारण देते हुए आदेश पारित करेंगे।

5. ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के लिए संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा जिला परिषद के लिए संबंधित अनुमंडल दण्डाधिकारी को आपत्तियों की जाँच हेतु प्राधिकृत किया जाता है। ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के मामले में अनुमंडल दण्डाधिकारी अपीलीय प्राधिकार होंगे तथा जिला परिषद के मामलें में जिला दण्डाधिकारी अपीलीय प्राधिकार होंगे। अपीलीय प्राधिकार का निर्णय अन्तिम होगा। अपील वादों के निष्पादन के पश्चात **प्रपत्र-1** में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार नई जनसंख्या के आँकडों का नियमानुकूल अंतिम प्रकाशन किया जायेगा।

6. इसके लिए समय सारणी निम्नवत है :-

(क) वर्ष 2011 की जनगणना के आलोक में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या को **प्रपत्र-1** में प्रारूप प्रकाशन की अवधि	- 01.08.2014 से 14.08.2014
(ख) आपत्तियों का निष्पादन	- 01.08.2014 से 31.08.2014
(ग) अपील वादों का निष्पादन	- 01.09.2014 से 15.09.2014
(घ) प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या को **प्रपत्र-1** को जिला गजट में प्रकाशन की तिथि	- 30.09.2014

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि आवश्यक कार्रवाई **उपर्युक्त समय-सारणी के अनुसार** सम्पन्न कराने की कृपा करें। साथ ही प्रकाशित जिला गजट की प्रति विशेष दूत के माध्यम से **दिनांक 15.10.2014 तक** आयोग कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

कृपया इसे आवश्यक समझा जाए।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह/-
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

ज्ञापांक -पं.नि.- 30-31/2013 - **1214** पटना, दिनांक - **15.07.2014**

प्रतिलिपि, सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए उनसे अनुरोध है कि आयोग के दिशा निर्देश का अनुपालन समय-सीमा के अन्तर्गत सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें।

15/7/14
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।